पत्रांक–2ब० / ना०सु०–03–06 / 2019 / न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित कुल 09 तालाबों के उड़ाहीकरण हेतु कुल ₹220.84350 लाख (दो करोड़ बीस लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास रू०) मात्र की निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

दिनांक– 24.05.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पेयजल एवं आपदा प्रबंधन के संबंध में आयोजित बैठक में दरभंगा में ग्राउन्ड वाटर का जल स्तर नीचे जाने के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई साथ ही ग्राउन्ड वाटर के जल स्तर में सुधार के संबंध में सार्थक उपाय का सुझाव भी दिया गया, जिसमें बताया गया की दरभंगा शहर में छोटे–बड़े लगभग 37 तालाब है। लगभग सभी तालाबों में नजदीकी क्षेत्रों के नाली का पानी गिरने एवं अन्य प्रकार के कुड़ा–कचड़ा रहने के कारण वाटर बॉडी के सतह के Pores के बंद होने के कारण पानी Percolate हो कर नीचे नहीं जा रहा है।

2. उक्त के आलोक में बैठक में निर्णय लिया गया कि Water Recharge करने हेतु तत्काल वाटर बॉडी की उड़ाही किया जाय। उक्त 37 तालाबों में से कतिपय तालाबों में काफी पानी भरा हुआ है, जिसकी उड़ाही बरसात के पूर्व कर पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया कि ऐसे छोटे तालाब, जिसका क्षेत्रफल 01 से 02 एकड़ के बीच में हो एवं जो सुखे हुए हो अथवा जिन तालाबों में अधिकतम 04 फीट तक पानी हो उसी का तत्काल उड़ाही कराया जाय।

3. बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता, बुडको के पत्रांक– शून्य, दिनांक– 26.05.2019 द्वारा नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत कुल 09 तालाबों का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया। जिसके तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹220.84350 लाख (दो करोड़ बीस लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास रू०) के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक– 2652, दिनांक– 28.05.2019 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

4 तद्नुसार विभागीय पत्रांक– 2652 दिनांक– 28.05.2019 के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल जीवन हरियाली (नागरिक सुविधा) मद से कुल

₹220.84350 लाख (दो करोड़ बीस लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास रू०) मात्र के राशि की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित की जाने वाली राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	भू जलस्तर रिचार्ज के दृष्टिकोण से वार्ड नं०– 05 अवस्थित सर्वेश्वरनाथ मंदिर तालाब का उड़ाहीकरण कार्य	22.28800	22.28800
2	भू जलस्तर रिचार्ज के दृष्टिकोण से वार्ड नं०– 15 अवस्थित दुल्हीन तालाब का उड़ाहीकरण कार्य	22.28800	22.28800
3	भू जलस्तर रिचार्ज के दृष्टिकोण से वार्ड नं०– 04 अवस्थित नीम पोखर तालाब का उड़ाहीकरण कार्य	29.28750	29.28750
4	भू जलस्तर रिचार्ज के दृष्टिकोण से वार्ड नं०– 20 अवस्थित जेटियाही तालाब का उड़ाहीकरण कार्य	27.40200	27.40200
5	भू जलस्तर रिचार्ज के दृष्टिकोण से वार्ड नं०– 01 अवस्थित गोपाल साह पोखर तालाब का उड़ाहीकरण कार्य	24.39800	24.39800
6	भू जलस्तर रिचार्ज के दृष्टिकोण से वार्ड नं०– 18 अवस्थित नवरत्न पोखर तालाब का उड़ाहीकरण कार्य	13.56900	13.56900
7	भू जलस्तर रिचार्ज के दृष्टिकोण से वार्ड नं०– 21 अवस्थित हरिबोल पोखर तालाब का उड़ाहीकरण कार्य	9.95600	9.95600
8	भू जलस्तर रिचार्ज के दृष्टिकोण से वार्ड नं०– 35 अवस्थित भटवा पोखर तालाब का उड़ाहीकरण कार्य	47.54300	47.54300
9	भू जलस्तर रिचार्ज के दृष्टिकोण से वार्ड नं०– 48 अवस्थित बलुहाही पोखर तालाब का उड़ाहीकरण कार्य	24.11200	24.11200
	कुल योग	220.84350	220.84350

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹220.84350 लाख (दो करोड़ बीस लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास रू०) मात्र।

5 उक्त स्वीकृत ₹220.84350 लाख (दो करोड़ बीस लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास रू०) मात्र के **स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, दरभंगा के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।***

6 **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

7 राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8 वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9 उक्त स्वीकृत ₹220.84350 लाख (दो करोड़ बीस लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड– **48-2217011910116,** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

10 स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

11 वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12 आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/विविध–21–08/2018 के पृष्ठ सं०–......29......./टि० पर दिनांक–...7.2.20... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–. ...30......../टि० पर दिनांक–...7.2.20. को प्राप्त है ।

13 भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14 इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–06/2019 218 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 18/2/2020

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, कोषागार दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-02-2020

सरकार के विशेष सचिव।